शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल–registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 835/अका./2024/ रायगढ़, दिनांक 10.06.2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय,रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 क्रियान्वयन के संबंध में ।
संदर्भ :– अपर संचालक, उच्च शिक्षा,संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, दिनांक 07.06.2024

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें। उल्लेखित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश विश्विद्यालय के वेबसाईट–https://snpv.ac.in पर उपलब्ध है, जिसका अक्षरशः पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा आपके द्वारा की गई कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 836/अका./2024/ रायगढ़, दिनाँक 10/06/2024

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक,उच्च शिक्षा,संचालनालय,ब्लॉक–3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदया के सादर सूचनार्थ।
4. समस्त विभाग प्रमुख–शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय,रायगढ़ को सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- slqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

नवा रायपुर, दिनांक 07/06/2024

क्र. 527/187/आउशि /गु.प्र./2024

प्रति,

कुलसचिव
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश।

संदर्भ :– छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 3–32/2019/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15.03.2024।

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों तथा शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किया जा रहा है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जा चुका है।

शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जा रहे है जिन्हें समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अवगत कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में गठित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ" की होगी।

1. समस्त स्वशासी महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया संबंधित विश्वविद्यालय के पोर्टल से ही की जायेगी।
2. शैक्षणिक सत्र 2024–25 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये बी.ए. बी.एस.सी, बी.एस.सी (गृह विज्ञान), बी.कॉम, बीसीए एवं बीबीए के पाठ्यक्रमों (प्रोग्राम) के लिये ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में एबिलिटी एन्हासमेंट कोर्स (AEC) का संचालन निम्नानुसार किया जाना है।

पाठ्यक्रम (प्रोग्राम)	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर
बी.कॉम एवं बीबीए	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)	हिन्दी भाषा (AEC 03)
बी.एस.सी एवं बीसीए	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)	हिन्दी भाषा (AEC 03)	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)
बी.ए एवं बी.एस.सी (गृह विज्ञान)	हिन्दी भाषा (AEC 03)	पर्यावरण अध्ययन (AEC 01)	अंग्रेजी भाषा (AEC 02)

4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विगत सत्र से संचालित हो रहे समस्त संकायों के अन्तर्गत प्रचलित विषय (डिसीप्लीन) पूर्ववत् संचालित होंगे किन्तु विषय संयोजन (डिसीप्लीन काम्बीनेशन) हेतु संकायवार सूची विभाग द्वारा शीघ्र प्रेषित की जायेगी।
5. वर्तमान में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित संकायो के अन्तर्गत उपलब्ध विषय शिक्षक/संसाधन के अनुरूप किसी संकाय के विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय के विषय (डिसीप्लीन) का चयन "जेनेरिक–इलेक्टिव" के रूप में किया जाना है, जिसका संकायवार पूल शीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

क्रमशः...2...

6. विभाग द्वारा वेल्यू एडेड कोर्स (VAC) एवं स्किल डेवलपमेंट कोर्स (SEC) की सूची/पूल विश्वविद्यालयों को शीघ्र प्रेषित किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय में उपलब्ध शिक्षक/संसाधन के अनुरूप VAC एवं SEC चिन्हित कर विद्यार्थियों के इच्छानुरूप चयन हेतु महाविद्यालय स्तर पर सूचना जारी किया जायेगा।
7. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के वेबसाइड के प्रवेश खण्ड में NEP TAB बनाकर इसके अन्तर्गत चार खण्ड बनाये जाये जो अध्यादेश, निर्देश/सूचना, विडीयो/पीपीटी एवं FAQ हेतु निर्धारित किये जाये। करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क से संबंधित प्रस्तुतीकरण की पीडीएफ प्रति इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु NEP TAB की पीपीट खण्ड में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइड में निम्नलिखित वाक्य को रनिंग मैटर के रूप में प्रसारित करें :– "शैक्षणिक सत्र 2024–25 में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश लेंगे"।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कर्तव्यस्थ समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ का संवेदीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

7.6.2024

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 528 /187/आउशि /गु.प्र./2024 नवा रायपुर, दिनांक 07/06/2024

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक.................................. संभाग, को सूचनार्थ।
3. समस्त प्राचार्य, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं संबंद्ध विश्वविद्यालय से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7.6.2024

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)